भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महालेखाकार का कार्यालय
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2 रा मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यु मरीन लाईन्स, 101, महर्षी कर्वे रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र.- (022)22039680, फॅक्स - 22086984. ई-मेल : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, वेबसाईट : http://agmaha.cag.gov.in

Government of India

2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai - 400 020. Tel.No.- (022) 22039680, Fax - 22086984
e-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website : http://agmaha.cag.gov.in

पंजीकृत डाक 60926087

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं.P/20/Govt/60965371/**Uttarakhand**/Ch.5/जा.सं.

31/12/2020

सेवा में,
1. सभी खजाना कार्यालय,

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी,
   लेखा-कोा भवन, ए विंग,
   बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,
   मुंबई-400 051.

विषय:- **Payment of Pension/Family pension arrears from 01/01/2016 to 31/10/2018 to Pre-01/01/2016 pensioners/Family pensioners in continuation with recommendation of Seventh Pay Commission.**

संदर्भ –**Govt. of Uttarakhand, Order No.383/2019/XXVII(10)/27(08)/2017 dated 10/12/2019.**

महोदय,

उपरनिर्दिट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) Uttarakhand, Dehradun के पत्र संख्या **पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखंड/2020–2021/1399** दिनांक 29/09/2020 द्वारा प्राप्त हुआ है

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है

3. सभी Uttarakhand सरकार के पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शायें।

4. **This said Orders have been uploaded on this office website i.e. agmaha.cag.gov.in**

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/20/Govt/60965371/**Uttarakhand**/Ch.5/जा.सं.

1. कार्यालय, महालेखाकार **(लेखा व हकदारी)-II, महाराट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)**
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराट्र सरकार, मुंबई.
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती. विभाग, अमरावती.
8. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5th Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya – 32.
10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) , Uttarakhand, Dehradun के पत्र संख्या **पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत /उत्तराखंड/ 2020–2021/1399** दिनांक 29/09/2020.

संख्या : / 2019 / XXVII(10) / 27(08)/20

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3–समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक:10 दिसम्बर, 201

विषयः–सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01–01–2016 से पूर्व पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.0 2016 से 31.10.2018 तक के एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मि लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–38 / 37 / 2016–P&PW दिनांक 12.05.2017 के कम में निर्गत शासनादेश संख्या–205 / XXVII(10) / 2018–27(2017 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पुनरीि पेंशन / पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 01.11.2018 से अनुमन्य किया गया है।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में उक्त शासनादेश दिना 15 अक्टूबर, 2018 के प्रस्तर–6 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हु है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.11.2018 स्थान पर दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन का लाभ वास्तविक र से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उक्तानुसार अवशेष धनराशि का भुगतान दो समान किश्तों में वित्तीय वर्ष 2020–21 वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया जायेगा।

4– उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।